अनुबंध-I

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई इकाईयां) के लिए प्रदान की गई सुविधाएं

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

1) निःशुल्क निविदाएं जारी करना
2) बयाना राशि के भुगतान से छूट
3) मौद्रिक सीमा तक प्रतिभूति जमा राशि की माफी, जिसके लिए इकाई पंजीकृत है, और
4) यदि प्रतिभागी एमएसएमई है तो एल-1 के बांड में उद्धृत कीमत +15 प्रतिशत ऐसे एमएसएमई को निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान करके उनके मूल्य को एल-1 तक करना है। इस 20 प्रतिशत में से न्यूनतम 4 प्रतिशत की खरीद ऐसे एमएसएमई से की जाएगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले हैं, एमएसएमई के लिए निर्धारित की गई मात्रा को उनके बीच इस प्रकार से समान रूप से वितरित किया जाएगाः

(i) यदि सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई से एक ही बोलीदाता है और उसकी दरें एल-1 कीमत के 15 प्रतिशत की भीतर हैं तो पूरी 20 प्रतिशत मात्रा उस सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई को आबंटित की जाएगी, बशर्ते कि फर्म अपनी कीमत एल-1 कीमत तक कम करने को सहमत हो।

(ii) यदि एमएसएमई से चार बोलीदाता हैं और इन चारों में से एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और उनकी दरें एल-1 कीमत के 15 प्रतिशत के भीतर हैं तो मात्रा का 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले चार एमएसएमई को समान रूप से वितरित की जाएगी बशर्ते कि सभी अपनी कीमतों को एल-1 कीमत तक कम करने को सहमत हों।

(iii) यदि एमएसएमई से 9 बोलीदाता हैं और इन 9 में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और उनकी दरें एल-1 कीमत के 15 प्रतिशत की भीतर हैं तो 4 प्रतिशत मात्रा को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई को आबंटित किया जाएगा और शेष 10 प्रतिशत मात्रा को अन्य 8 एमएसएमई को समान रूप से वितरित किया जाएगा, बशर्ते कि सभी एल-1 कीमत तक अपनी कीमत कम करने को सहमत हों।

टिप्पणीः किसी अन्य जानकारी के लिए, प्रशासन प्रभाग, आरईसी लिमिटेड को फोन नं. 011-43091501, फैक्स नं. 011-24360644 पर संपर्क किया जा सकता है।

****